बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं09 / आ0–69 / 2004 / स्वा0 / पटना,दिनांक / डा0 (श्रीमती) रेणु सुशील कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, भभुआ (कैमूर) सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को कैमूर, जिला में पदस्थापन काल में दिनांक 02.09.2004 से अनुमंडलीय अस्पताल, भभुआ में योगदान देने के पश्चात् दिनांक 04.09.2004 से बिना अवकाश स्वीकृत कराये और बिना आवेदन दिये अनुपस्थित होने, दिनांक 11.09.2004 को उपस्थित होकर दिनांक 04.09.2004 से 10.09.2004 तक उपस्थिति बना लेना एवं दिनांक 13.09.2004 से 15.09.2004 तक का अवकाश आवेदन बिना स्वीकृत कराये कार्यालय से अनुपस्थित होने के आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 1859(9) दिनांक 13.10.04 के द्वारा डा0 (श्रीमती) रेणु सुशील कुमार को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0 1924 दिनांक 20.10.2004 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किये जाने के पश्चात नियमानुकुल कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 752(9) दिनांक 02.07.2008 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

(क) निलम्बन अवधि में चूंकि डा0 (श्रीमती) कुमार द्वारा निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं की गयी है, अतः निलंबनावधि के संबंध में उनसे कारण–पृच्छा प्राप्त कर निर्णय लिया जायेगा।

(ख) निलम्बन से मुक्ति के उपरान्त ये स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देगे।

(ग) डा0 (श्रीमती) कुमार की दिनांक 4.9.04 से 12.10.04 तक की अनुपस्थिति अवधि को अवैतनिक अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. डा0 श्रीमती रेणु सुशील कुमार अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2008 द्वारा कहा गया है कि उन्हे विभागीय कार्यवाही की सूचना औपचारिक रूप से मिली परन्तु निलंबन की सूचना अनौपचारिक अथवा औपचारिक रूप से नहीं मिली। इनके द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता तथा इस अवधि को कार्यविहिन अवधि के रूप में विनियमित करने का अनुरोध किया गया। इनके द्वारा दिनांक 06.04.8 को दिए गए आवेदन में दिनांक 13.10.2004 से 07.07.2008 तक की अवधि को अवैतनिक कार्यविहीन अवधि में विनियमित करने अनुरोध किया गया है।

3. डा0 (श्रीमती) कुमार के अभ्यावेदन पर समीक्षोपरान्त विचार करते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्न निर्णय लिया जाता है:–

(क) निलंबन अवधि में डा0 (श्रीमती) कुमार ने अपनी उपस्थिति निर्धारित मुख्यालय में दर्ज नहीं की है। इन्होने अपने आवेदन में अंकित किया है कि दिनांक 13.10.2004 से 07.07.2008 तक की अवैतनिक कार्यविहीन अवधि को सेवा से परिगणित किया जाए। इस आवेदन में इन्होने अंकित

किया है कि दिनांक 08.07.2018 को अपना योगदान विभाग में दिया है। उक्त दृष्टिकोण से डा0 (श्रीमती) कुमार की निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय नहीं होता है।

(ख) डा0 (श्रीमती) रेणु सुशील कुमार के विरूद्ध गठित आरोप अंततः प्रमाणित पाये गये है एवं इनके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है। अतः दिनांक 13.10.2004 से 07.07.2008 तक की अवधि को अकार्यरित अवधि मानी जाती है। इस अवधि की गणना पेंशन प्रदायी सेवा में नहीं की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक: 23(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 17/1/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन, पटना, दरभंगा/जिला पदाधिकारी दरभंगा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 (श्रीमती) रेणु सुशील कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, भभुआ (कैमूर) सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14.1.19

सरकार के उप सचिव

D: All Letter 2017 SWETA Notification.docx